समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 27-10-2014 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

अनुपस्थित पदाधिकारी :-

1-जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा, 2-जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा, 3-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा, 4-जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा, 5-जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा, 6-सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, मधेपुरा, 7-कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा, 8-कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, त्रिवेणीगंज, 9-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा, 10-कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा, 11-श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सिंहेश्वर, 12-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मधेपुरा, 13-श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा, 14-निदेशक, आर0सेटी, मधेपुरा, 15-जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा, 16-कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, राघोपुर, 17-लोकपाल, मनरेगा, मधेपुरा, 18-जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, मधेपुरा एवं 19-परियोजना प्रबंधक, महिला हेल्पलाईन, मधेपुरा बैठक से अनुपस्थित पाये गये।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया गया।

(2) छठ घाट की तैयारी :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 29 एवं 30 अक्टूबर, 2014 को छठ पर्व के अवसर पर मधेपुरा जिलान्तर्गत विभिन्न छठ घाटों पर 94 दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति विधि-व्यवस्था संधारण हेतु की गयी है। जिन-जिन पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है, वे अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करेंगे तथा जिन पदाधिकारियों की ड्यूटी नहीं लगी है, वे मुख्यालय से बिना अनुमति अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित नहीं रहेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

➢ यह भी बताया गया कि नदी का जल स्तर नीचे जा रहा है, इस बात को भी ध्यान में रख कर आवश्यक तैयारी की जाए। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि समाचार पत्र में यह खबर प्रकाशित हुई कि अभी भी छठ घाटों की साफ-सफाई नहीं हुई है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि सभी पारम्परिक छठ घाटों की साफ-सफाई करा ली जाए। साथ ही सफाईयुक्त स्पेस कम उपलब्ध होने पर एक छोटे से एरिया में भीड़ का संकेन्द्रण अत्यधिक रहने की संभावना के मद्देनजर नदी/ तालाब /पोखर के लम्बाई क्षेत्र में भी साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए। जिन-जिन घाटों पर दलदली क्षेत्र हो गया है, वहां सुखा बालू या अन्य माध्यम से दलदल हटाने का प्रयास किया जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से भी इस संबंध में कार्रवाई की जाए।

➢ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सिंहेश्वर मंदिर में तालाब के पास भी बहुत सारे लोग छठ मनाने जाते हैं, किन्तु वहां पर सीढ़ी तथा कम स्पेस उपलब्ध रहने के कारण लोगों को कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, जिसे बराबर कराने की आवश्यकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस हो सके। अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध किया जाता है कि उक्त स्थलों के निरीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

➢ कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिजली मिस्त्री /कनीय अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से सभी पारम्परिक छठ घाटों पर सुनिश्चित किया जाए।

➢ इसी प्रकार सिविल सर्जन, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि सभी छठ घाटों पर एम्बुलेंस, मेडिकल टीम आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सिविल सर्जन, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि एम्बुलेंस चालक की कमी है तथा स्वास्थ्य विभाग के कुछ चालक विभिन्न कार्यालय में प्रतिनियुक्त है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि दिनांक 29 एवं 30 अक्टूबर, 2014 के लिए चालकों की प्रतिनियुक्ति छठ पर्व के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग में किया जाए। सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जहां-जहां स्वास्थ्य विभाग के चालक प्रतिनियुक्त है, उसकी सूची तैयार कर उक्त तिथि के लिए एम्बुलेंस चालक के रूप में उनकी प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज/ सभी संबंधित पदाधिकारी)

(3) अरारघाट जल विद्युत परियोजना :-

जिलाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, पटना के पत्रांक-1384, दिनांक- 20-10-2014 द्वारा मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत ग्वालपाड़ा प्रखंड के अरार घाट पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के निमित्त वांछित भूमि अधिग्रहण का अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र में इस आशय का जिक्र है कि परियोजना प्रभारी, अरार घाट जल विद्युत परियोजना, मधेपुरा के प्रतिवेदनानुसार अंचलाधिकारी, ग्वालपाड़ा के काफी प्रयास के बावजूद भी संथाली परिवार के सदस्य भूमि देने को तैयार नहीं है, फिरभी अंचलाधिकारी, ग्वालपाड़ा द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आज की साप्ताहिक सोमवारीय समीक्षात्मक बैठक में परियोजना प्रभारी अरारघाट जल विद्युत परियोजना बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहें, फलस्वरूप वास्तविक स्थिति की समीक्षा नहीं की जा सकी। इस संबंध में बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि उक्त परियोजना के निमित्त भूमि अधिग्रहण हेतु अपने स्तर से यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(4) राजस्व :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-449, दिनांक- 22-10-2014 द्वारा अंचल एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय में जर्जर एवं बंद पड़े वाहनों को रद्दीकृत घोषित कर एवं एवं निलाम कर निलामी की राशि कोषागार में जमा करने के संबंध में अनुरोध किया गया है। बताया गया कि जिस-जिस कार्यालय में उक्त वाहन निलामी हेतु पड़ी हुई है, मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा अविलम्ब निलामी की कार्रवाई नियमानुसार की जाए तथा

अनुपालन से 15 दिनों के अन्दर अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपर समाहर्त्ता से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से भी यथोचित कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन-अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /मोटरयान निरीक्षक /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(5) भवन :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-14661, दिनांक- 22-10-2014 द्वारा समाहरणालय कार्यालय भवन /समाहर्त्ता आवास /अनुमण्डल कार्यालय भवन /अनुमण्डल पदाधिकारी आवास एवं पदाधिकारियों /कर्मचारियों के अवासीय भवनों के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन तैयार कर दिनांक 10-11-2014 तक विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। बताया गया कि दिनांक 22-10-2014 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेसिंग में भी प्रधान सचिव महोदय द्वारा इस संबंध में निदेशित किया जा चुका है।

यह भी बताया गया कि जिलाधिकारी के आवास के पूरब तथा पुलिस अधीक्षक के आवास से सटे सरकारी जमीन खाली है, उसका भी नियमानुसार बाउण्ड्री कराया जाए, ताकि उसका अवैध ढ़ंग से अतिक्रमण नहीं किया जा सके। साथ ही कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा /जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में अविलम्ब प्राक्कलन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से विभाग को भेजा जाए, ताकि इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। कार्यपालक अभियंता, भवन को यह भी निदेश दिया गया कि समाहरणालय में सिंगल विण्डो सिस्टम के निर्माण हेतु भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा/ सभी संबंधित पदाधिकारी)

(6) योजना :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि योजना विभाग, बिहार, पटना द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 2014 की कंडिका 6 में संशोधित करते हुए अनुमण्डल /प्रखंड में सभा कक्ष का निर्माण हेतु योजना को सम्मिलित किया गया है। जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा तथा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, स्था०क्षे०अभि० /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा)

(7) विकास :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशक, ब्रेडा, पटना के पत्रांक- 1845, दिनांक- 22-10-2014 द्वारा सोलर पम्प के अधिष्ठापन हेतु लाभार्थियों की अंशदान के साथ सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में नियमानुसार आवेदन प्राप्त कर विभाग को संसूचित किया जाए। प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि इस संबंध में यथोचित कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अगली सोमवारी बैठक में अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा)

(8) कृषि :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कृषि निदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक-774, दिनांक- 22-10-2014 द्वारा 135 ई0-किसान भवन के सुदृढ़ीकरण के संबंध में कार्रवाई करते

हुए ई-किसान भवन को कार्यशील करने का निदेश दिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि प्रत्येक ई-किसान भवन में विद्युत कनेक्शन लगाये जाने का प्रावधान है। निदेश दिया गया कि विद्युत कनेक्शन हेतु नियमानुसार राशि कार्यपालक अभियंता, विद्युत को उपलब्ध करायी जाए, ताकि विद्युत कनेक्शन चालू किया जा सके।

(अनुपालन-जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्य0अभि0, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा)

(9) बिजली का बिल :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी बहुत सारे पदाधिकारियों के सरकारी क्वार्टर का बिजली का बिल नहीं भेजा जा रहा है, जिसके कारण विद्युत की राशि जमा करने में कठिनाई हो रही है। बताया गया कि अपर समाहर्त्ता, जिला नजारत उप समाहर्त्ता के सरकारी क्वार्टर का बिल करीब एक वर्ष से नहीं भेजा गया है। इसी प्रकार आशुलिपिक, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उनके सरकारी क्वार्टर का बिल लगभग चार-पांच माह से नहीं भेजा जा रहा है, जबकि इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा तथा कनीय अभियंता, विद्युत, मधेपुरा को निदेशित किया जा चुका है। उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 14-10-2014 को विद्युत विभाग की आयोजित बैठक में भी बिजली बिल देने हेतु अनुरोध किया, किन्तु अभी तक इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गयी है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि संबंधित कनीय अभियंता, विद्युत, मधेपुरा से कारण पृच्छा करते हुए अपने मंतव्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें कि उक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का बिजली का बिल ससमय नहीं भेजने के कारण क्यों नहीं उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जाए।

(अनुपालन-कार्य0अभि0, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(10) माप एवं तौल :-

निरीक्षक, माप एवं तौल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये साप्ताहिकी जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस सप्ताह में 46 जगह निरीक्षण /जांच किया गया तथा जांचोपरान्त सत्यापन हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि जांच /निरीक्षण जारी रखें तथा दोषी पाये जाने पर कार्रवाई करें।

(अनुपालन-निरीक्षक, माप-तौल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज)

(11) ओभर लोडिंग :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बड़े-बड़े वाहनों द्वारा अत्यधिक सामग्री, ओभर लोड कर चलाया जाता है, जिसकी जांच कराना वांछनीय है। जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि वैसे वाहन, जो ओभर लोडिंग कर चलाये जाते हैं, उस पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाए तथा राशि वसूला जाए। बताया गया कि नगर क्षेत्र में बस स्टैण्ड /समाहरणालय के आस-पास टैम्पु /बस द्वारा यात्रियों को बैठाने के बाद भी ससमय नहीं खोला जाता है तथा अत्यधिक ओभर लोडिंग (वाहन के छत पर बैठाकर /लटका कर) करने के उपरान्त गाड़ी स्टैण्ड से खोला जाता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा को भी निदेशित किया गया कि जो भी टैम्पु /बस आदि यात्री से भर जाने के बाद तुरंत वे स्टैण्ड से खुले, इसे सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन-जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /मोटरयान निरीक्षक, मधेपुरा)

(12) स्वास्थ्य :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा सम्पन्न परिवार नियोजन ऑपरेशन के संबंध में विस्तृत निदेश दिया गया है। सिविल सर्जन, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि विभाग द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-सिविल सर्जन, मधेपुरा)

(13) नाला बनने के उपरान्त केबुल काटना :-

➢ समीक्षा के क्रम में सहायक अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, दूरभाष, मधेपुरा द्वारा बताया गा कि नगर क्षेत्र में नाला /रोड के निर्माण में जे0सी0बी0 मशीन से जमीन की खुदाई के उपरान्त केबुल को काट दिया जाता है तथा उसे वापस भी नहीं किया जाता है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि केबुल काटने के पूर्व उन्हें सूचित किया जाए तथा कटे हुए केबुल को वापस किया जाए। कार्यपालक अभियंता, काडा, मधेपुरा तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जमीन की खुदाई के पूर्व सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा को अवश्य सूचित किया जाए। साथ ही कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि नाला बनने के उपरान्त जो मिट्टी सड़क के किनारे शेष पड़े हुए रहते हैं, उसको समाहरणालय के परिसर में डलवाया जाए, ताकि समाहरणालय में जो गढ्ढे हैं, उसे भरा जा सके।

➢ यह भी बताया गया कि समाहरणालय के सामने जहां रेड क्रॉस का भवन है, उसके आस-पास कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर दुकान बनाया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा तथा कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त दुकानदारों को वहां से अविलम्ब हटाया जाए तथा अतिक्रमण खाली कराया जाए।

➢ यह भी बताया गया कि जिला अतिथि गृह के बगल में सरकारी जमीन में पार्क का निर्माण किया जाना है। कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इस संबंध में प्राक्कलन तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें। साथ ही कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अपने कार्यो के अतिरिक्त वे प्रतिदिन जिला गोपनीय शाखा में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे तथा किए गए कार्यो के संबंध में अवगत करायेंगे।

(अनुपालन-कार्य0पदा0, नगर परिषद्, मधेपुरा/ कार्य0अभि0, काडा, मधेपुरा/ सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा)

(14) प्रेस कतरन :-

बताया गया कि दिनांक 19-10-2014 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित खबर ''खतरनाक बना है सुखासन नदी तट'' के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में रास्ते का चौड़ीकरण हेतु नियमानुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें।

(अनुपालन-कार्य0पदा0, नगर परिषद्, मधेपुरा)

(15) राईट-अप :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 1-अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा, 2-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा तथा 3-जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक /सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त राईट-अप समर्पित किया गया है, जो अच्छी बात है। पुनः सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जैसे ही वे राज्य स्तरीय बैठक /कार्यशाला /सेमिनार में भाग लेने के

उपरान्त मुख्यालय वापस लौटे, तत्पश्चात् एक संक्षिप्त **राईट–अप** अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, जिससे कि यह पता चल सके कि विभाग द्वारा क्या–क्या निदेश दिये गये हैं।

(अनुपालन–सभी संबंधित पदाधिकारी)

(16) **अन्यान्य :–**

→ **कोषागार :–** जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह विभिन्न मदों से निकासी एवं व्ययन संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाए, ताकि यह पता चल सके कि किस–किस विभाग द्वारा राशि निकासी की जा रही है तथा किस–किस विभाग द्वारा राशि निकासी नहीं की जा रही है। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि उनके विभाग अन्तर्गत जो राशि निकासी किया जाना है, उसका नियमानुसार निकासी करें, ताकि मार्च माह से पहले राशि का निकासी एवं प्रत्यर्पण संबंधी प्रतिवेदन सरकार को भेजा जा सके।

(अनुपालन–कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

→ **पी0एम0जी0एस0वाई :–** जिला अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा तथा कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को निदेशित किया गया कि पी0एम0जी0एस0वाई0 की प्रगति संतोषजनक नहीं है, फलस्वरूप इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई की जाए। *(अनुपालन–जिला अभियंता, जिला परिषद् /कार्य0अभि0,ग्रा0कार्य0वि0,मधेपुरा /उदाकिशुनगंज)*

→ **निजी जमीन में सड़क का निर्माण :–** कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि निजी जमीन में सड़क निर्माण संबंधी एक मामला प्रकाश में आया है, जिस पर जिलाधिकारी से मार्गदर्शन की मांग की गयी। निदेश दिया गया कि उक्त सड़क के निर्माण से पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी को आवेदन पत्र समर्पित करें, निजी व्यक्ति द्वारा जमीन, महामहिम राज्यपाल के नाम से दान हेतु प्रस्ताव दिया जाता है, तो उसका निबंधन निःशुल्क करावें, तत्पश्चात् उस जमीन में सड़क निर्माण की दिशा में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। *(अनुपालन–कार्य0अभि0,ग्रामीण कार्य वि0, उदाकिशुनगंज)*

→ **सी0एच0सी0 :–** बताया गया कि चौसा एवं कुमारखंड में सी0एच0सी0 (कम्युनिटी हेल्थ सब–सेन्टर) का मामला है। सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से विभाग को पत्राचार किया जाए। जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि डी0पी0एम0 आवास –सह– कार्यालय हेतु विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है, जिसके निर्माण हेतु जमीन की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि युनानी दवा खाना (पुरानी बाजार) का जो जमीन खाली पड़ा है, उसी में जमीन की आवश्यकतानुसार भवन निर्माण हेतु नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। *(अनुपालन–सिविल सर्जन /जिला अभियंता, जिला परिषद्)*

→ **अल्पसंख्यक कल्याण :–** जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि उनके विभाग अन्तर्गत छात्रवृति की क्या स्थिति है, तो उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। निदेश दिया गया कि अल्पसंख्यक छात्रवृति /मेधावृति योजना की अपेक्षित प्रगति हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें। *(अनुपालन–जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा)*

→ **अग्रणी बैंक प्रबंधक :–** प्रधानमंत्री जन–धन योजना की समीक्षा के क्रम में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि शिविर आयोजन करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। निदेश दिया गया कि कितने राजस्व ग्राम में शिविर का आयोजन किया गया है तथा कितने लाभार्थियों

का खाता खुलवाया गया है, की विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 27-10-2014 की संध्या 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। ***(अनुपालन-जिला अग्रणी बैंक, मधेपुरा)***

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

निजी सहायक	प्रभारी पदाधिकारी	जिलाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	मधेपुरा।

ज्ञापांक 2894 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 30/10/2014

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, मधेपुरा /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा /जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अवर निबंधक, मधेपुरा /जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, मधेपुरा / सहायक नियंत्रक, माप-तौल, मधेपुरा /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा /जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर /कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा /वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, सहरसा /कार्यपालक अभियंता, काडा, मधेपुरा/ जिला अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, मनरेगा मधेपुरा/ औषधि निरीक्षक, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा / जिला अग्रणी प्रबंधक, मधेपुरा /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा /वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा / निदेशक, ग्रामीण स्वरोजगार प्र0 संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को Website में upload करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को email करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निजी सहायक	प्रभारी पदाधिकारी	जिलाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	मधेपुरा।

का खाता खुलवाया गया है, की विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 27-10-2014 की संध्या 05:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। ***(अनुपालन-जिला अग्रणी बैंक, मधेपुरा)***

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक 2894/गो0, मधेपुरा, दिनांक 30/10/2014

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, मधेपुरा /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा /जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अवर निबंधक, मधेपुरा /जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, मधेपुरा / सहायक नियंत्रक, माप-तौल, मधेपुरा /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा /जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर /कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा /वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, सहरसा /कार्यपालक अभियंता, काडा, मधेपुरा/ जिला अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, मनरेगा मधेपुरा/ औषधि निरीक्षक, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा / जिला अग्रणी प्रबंधक, मधेपुरा /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा /वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा / निदेशक, ग्रामीण स्वरोजगार प्र0 संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को Website में upload करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को email करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/10/14

जिलाधिकारी

मधेपुरा।